**International Research Journal of Human Resources and Social Sciences**
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
**Impact Factor**- 5.414, Volume 4, Issue 10, October 2017
**Website**- www.aarf.asia, **Email** : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

# हरियाणा की राजभाषा – वर्तमान व भविष्य

**सुशील कुमार**
शोधार्थी
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय,
रोहतक

हरियाणा हिन्दी भाषी प्रान्त है इसलिए हरियाणा की राजभाषा हिन्दी ही है। हरियाणा में हिन्दी की दशा व दिशा व हिन्दी की दशा व दिशा दिखने में ये दोनों प्रश्न एक ही हैं परन्तु हरियाणा प्रान्त में कई बोलियों का विस्तार हैं। जैसे कहावत के आधार पर "कोस–कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी" वाणी में परिवर्तन स्वभाविक है बोली जहाँ अनुकरण से सिखी जाती है वही राज भाषा की कुछ ओपचारिकताएँ भी हैं। हरियाणा में ही एक ही वस्तु के लिए अलग–अलग शब्दों का प्रयोग स्थान परिवर्तन पर निर्भर है। दीप के लिए कहीं पर दिवा व कहीं पर डिपला का प्रयोग होता है। वही पशुओं के चारे ज्वार आदी की गाँठ को कहीं पूली तो कहीं गददा कहा जाता है। रोटी जिस कपड़े में रखी जाती है उसको कही छालना व कही लातना कहा जाता है अब इतना सब जानने के बाद प्रश्न उठता है।

## हरियाणा में राजभाषा की दशा

चाहे कारण सूचना व क्रान्ति का लगाए या फिर जनसंख्या का आज भारत विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और प्रायः सभी देशों में भारतीय भी अपनी योग्यता का लोहा मनवा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि हिन्दी अपनी महता एवं कलेवर की वजह से अस्तित्व

© **Associated Asia Research Foundation (AARF)**
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

में है और रहेगी भी। भारत के अन्दर वैसे तो अनेकता में एकता है या विभिन्न धर्मों, जातियों व भाषाओं के लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सभी एक हैं लेकिन राष्ट्रभाषा के मामले में ऐसा नहीं हुआ संविधान के अनुसार जब हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिली तब बहुत से दक्षिण भारतीय या कहें आहिन्दी भाषा क्षेत्र के लोगों ने उस पर आपत्ति जताई और राजनीतिक लोगों ने अपने स्वार्थ की खातिर अपने ही देश में राष्ट्रभाषा को वह सम्मान नहीं दिया। महाराष्ट्र के उदाहरण को भी लिजिए वहाँ पर एक नेता ने दुसरी भाषा–भाषी लोगों पर ही मुम्बई में रहने का प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जब व्यापार के लिए कोई अहिन्दी भाषी हिन्दी भाषी क्षेत्र में आता है वह एक या दो आगमन पर हिन्दी सीख लेता हैं और नौकरी के लिए जब दक्षिण भारतीय तमिल लड़कियाँ दिल्ली के हास्पीटलों में कार्य करने आती हैं तो वे भी हिन्दी सीख जाती हैं। परन्तु जब हिन्दी भाषी क्षेत्र का कोई व्यक्ति जब अहिन्दी भाषी क्षेत्र में जाकर किसी से रास्ता तक पुछता है तो वह अपनी स्थानीय भाषा में जवाब देता है।

हरियाणा में भी घरों में हरियाणवी बोली का प्रयोग होता है। हमारी राजभाषा हिन्दी है। जब हम हिन्दी का प्रयोग करते हैं तो हरियाणवी पन इसमें झलकता है। अब तो स्थिति यहाँ तक हो गई है, कि नई युवा पीढ़ी अपने वार्तालाप में अंग्रेजी, हिन्दी व हरियाणवी को मिश्रित कर देती है। अब बात करते है राजभाषा हिन्दी की, हम अपने कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग करते हैं। आज हरियाणा में राजभाषा हिन्दी होने के बावजूद कई कार्यालयों का पत्र व्यवहार अंग्रेजी में होता है। लचर व्यवस्था के कारण पत्र अंग्रेजी में स्वीकार भी किए जाते है, और लिखे भी जाते हैं। कार्यालयों में अकुशल कर्मचारियों के कारण भी ऐसा हुआ है उन्हें नैट के माध्यम से अंग्रेजी में हर समस्या का समाधान मिल जाता है।

आजकल वैसे तो कार्यालयी हिन्दी अब इतनी कलिष्ट नही रही वह अपने अन्दर हर नए शब्द को समाहित करने की क्षमता रखती है। अब कार्यालयों में पत्रों की भाषा की अपेक्षा पत्र के विषय पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है।

## हिन्दी की स्थिति

विश्व के लगभग तिरानवें देशों में हिन्दी का या तो जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रयोग होता हैं। अथवा उन देशों में हिन्दी के अध्ययन–अध्यापन की सम्यक व्यवस्था है। चीनी भाषा बोलने वालों की संख्या हिन्दी भाषा से अधिक है परन्तु चीनी भाषा का प्रयोग क्षेत्र हिन्दी की अपेक्षा सीमित है। वही अंग्रेजी भाषा का प्रयोग क्षेत्र हिन्दी से अधिक है किन्तु हिन्दी बोलने वालों की संख्या अंग्रेजी भाषियों से अधिक है। विश्व के प्रमुख देशों में भारतीय मूल के अप्रवासी नागरीकों की आबादी देश की जनसंख्या में लगभग चालीस प्रतिशत या उससे अधिक है। इन क्षेत्रों के अधिकांश भारतीय मूल के अप्रवासी जीवन के विविध क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग करते हैं। इन देशों में मारीशस, सूरीनाम, गुयाना, फिजी, त्रिनिदाद और टोबेगों के नाम उल्लेखनीय हैं। इस वर्ग के देशों में ऐसे निवासी रहते हैं जो हिन्दी को विश्व की एक भाषा के रूप में लिखते, पढते व सीखते हैं। इन देशों की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी की शिक्षा का प्रबन्ध है। इन देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, क्यूबा, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका के नाम उल्लेखनीय हैं।

भारत एवं पाकिस्तान के अतिरिक्त हिन्दी एवं उर्दू मातृभाषियों की बहुत बड़ी संख्या विश्व के लगभग साठ देशों में निवास करती है। इन देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, हालैण्ड, आस्ट्रलिया, थाइलैण्ड, तजाकिस्तान, उज्बैकिस्तान आदि देशों का नाम उल्लेखनीय है।

संविधान में भले ही हिन्दी के विस्तार हेतु प्रावधान किए गए हैं परन्तु जनमानस अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी कानून को अपने पक्ष में करने की महारत रखता है। "भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कहा था।

"भाषा के सम्बन्ध में हमने जो निर्णय किया है वह बड़ा नाजुक निर्णय है। इसे साल के साल महीने के महीने, हफ्ते के हफ्ते और मिनट के मिनट हमें कार्यान्वित करना होगा

पर वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। संविधान के प्रारम्भ के 15 वर्षकी कालावधि के समाप्त होने से पूर्व संसद को एक कानून बनाना पड़ा। यह राजभाषा अधिनियम 1963 है। हॉलाकि इसमें अंग्रेजी के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई समय की मर्यादा नहीं हे। फिर भी सरकारी काम काज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग हेतु यह अधिनियम पारित किया गया। कानून बनाते वक्त उसको थोड़ा लचीला छोड़ा गया ताकि अहिन्दी भाषी लोगों को कठिनाई न हो परन्तु उन्होंने इस लचीलेपन का ही फायदा उठाया। प्रायः यह आरोप लगाया जाता है हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का आन्दोलन हिन्दी वालों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए चलाया पर दरअसल इतिहास की जानकारी न रखने वाले ही ऐसी धारणा रखते हैं। वास्तविकता यह है कि हिन्दी वाले तो हिन्दी का प्रयोग करते ही थे उसके आधार पर वे देश में चारों और बिना किसी कठिनाई के घूम–फिर भी लेते थे इसलिए भाषा की समस्या का उन्हें कभी सामना नहीं करना पड़ा। आज भी हिन्दी भाषी लोग हिन्दी की प्रगति के प्रति उतने जागरूक और प्रयत्नरत नहीं दिखते। दूसरी और कोई अहिन्दीभाषी जब अपने प्रदेश से बाहर जाता था तो उसके सामने यह प्रश्न स्वभावतः आता था कि वह दूसरों को अपनी बात कैसे समझाए और स्वयं उनकी बात कैसे समझे उसकी अपनी भाषा तो काम दे नहीं पाती थी।"[3] इस संदर्भ में उनके पास हिन्दी सबसे अच्छा विकल्प था। परन्तु इसकी तरफ ना तो ज्यादा ध्यान दिया गया और ना ही समय की जरूरत को समझा, कहते हैं नशा मीठा जहर है, इसका पता ही नहीं चलता कब उसने पूरे शरीर को बस में कर लिया। हमने हिन्दी की जगह अंग्रेजी का प्रयोग करना शुरू कर दिया स्कूलों का कन्वेन्टीकरण हुआ। सभी लोगों के मन में एक धारणा घर कर गई है कि बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे तो जल्दी कामयाब होंगे। इसका एक कारण ये भी है, विदेशी कम्पनियों का भारत में आगमन', बड़ी कम्पनियों में सभी कार्य अंग्रेजी में होते है। इसका एक कारण बेरोजगारी भी है। अगर किसी को अंग्रेजी का ज्ञान है तो वह जल्दी नौकरी पा लेता है। कई बार सरकारी विज्ञापनों में भी यह लिखा जाता है– अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने में सक्षम हों। अब तो हालात ये हो गए हैं कि कोई भी अपने बच्चों को हिन्दी मीडियम स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं कि हिन्दी का एक प्रकार से पहला व्यवस्थित गद्य ग्रंथ 'प्रेमसागर' लिखने वाले लल्लुलाल जी गुजराती थे। हिन्दी प्रदेश के

समाचार पत्र 'बनारस अखबार' के संपादक एक मराठी सज्जन हरि रघुनाथ थे। उन्हीं दिनों एक अन्य मराठी हरिगोपाल पाँडे ने 1870 में 'भाषातत्व दीपिका; नामक हिन्दी व्याककरण लिखा। प्रसिद्ध उपन्यासकार बाबु बांकिम चंद्र चटर्जी भी हिन्दी को ही भारत की राष्ट्रभाषा मानते थे इस विषय पर बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यिक पत्र 'बंग दर्शन' में 1878 में लिखे अपने एक लेख में उन्होंने अपने विचार बड़ी स्पष्टता और दृढ़ता से व्यक्त किए थे। आज जनता अवश्य चाहती है कि अंग्रेजी उन पर लदी न रहे और वह अब तक लदी रही है। बड़े पूँजीपति इस बात को जानते हैं इसलिए वे कहते हैं कि अंग्रेजी जाए लेकिन वे लोगों को यह सोचने का मौका नहीं देते कि उसकी जगह कौन लेगा? बजाय यह कहने के कि जब अंग्रेजी जायेगी तब प्रत्येक भारतीय भाषा को अपने अधिकार प्राप्त होगें।

## निष्कर्ष

हरियाणा में राजभाषा की दशा का विस्तार से वर्णन किया गया। हिन्दी हमारी राजभाषा है हमने बहुत उन्नति भी की है। और इस उन्नति के साथ हमारी हिन्दी भाषा ने भी बहुत उन्नति की है। चाहे वह सूचना क्रान्ति हो, और चाहे विश्व पटल पर बोली जाने वाली भाषा का मामला हो। हिन्दी बहुत सारी बाधाएँ पार करके आगे ही बढ़ी हैं। कार्यालयों की भाषा में बदलाव हुआ है कुछ कालिष्ट शब्दों की जगह नए सार्थक शब्दों का प्रयोग होने लगा है। बहुत सारे हिन्दी समाचार चैनलों ने पूरे विश्व में धूम मचाई हुई है। हिन्दी भाषा के कई सॉफटवेयर अब कप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। बड़ी–बड़ी कम्पनियाँ अब हिन्दी का विकल्प देती हैं। आज के युवा बेशक अंग्रेजी की तरफ आकर्षित है। परन्तु हिन्दी के प्रति भी उनकी ईमानदारी बरकरार है। ज्यों–ज्यों शिक्षा का प्रसार हुआ है त्यों–त्यों हिन्दी का भी प्रचार–प्रसार बढ़ा है। हमने देखा हैं। हमारे बड़े–बुढ़ों में कुछ ही लोग पढ़े–लिखे थे परन्तु जो पढ़े–लिखे थे उनकी अंग्रेजी व गणित पर पकड़ बहुत ज्यादा थी और अनपढ लोगों की तादाद ज्यादा थी अगर किसी का पत्र आदि आता था तो उस शिक्षित युवा को खोजा जाता था और पत्र पढ़वाया जाता था। परन्तु आज समाज में बड़ा बदलाव आया है। पत्र पढ़वाने के लिए अब कम ही लोग दूसरों का सहारा लेते हैं। हिन्दी भाषा ने भी अपने लचीलेपन के कारण अपने आप में बड़े बदलाव किए है। प्रयोजनमूलक

हिन्दी की नई विधा में तो हिन्दी में अग्रेंजी के शब्दों का बखुबी प्रयोग हुआ है। अब वो दिन दूर नहीं जब हमारी हिन्दी भाषा पूरे विश्व के पटल पर अपनी पहचान बनाएगी।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची


1. साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, मनोज कुमार मिश्र, पृ0 सं0 391, 392
2. सामाजिक प्रयोजन मूलक हिन्दी, पृथ्वी नाथ पाण्डेय, पृ0 सं0 286
3. वही, पृ0 सं0 285
4. बैकों में हिन्दी का प्रयोग, सुरेश कांत, पृ0 सं0 24
5. वही, पृ. सं. 25
6. राष्ट्रभाषा हिन्दी विचार नीतियों और सुआद, डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव, पृ. सं. 121
7. भारत की भाषा–समस्या, रामविलास शर्मा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 71